



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.रा.)

दूरभाष : 0771-2262802(अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई-मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1629/अका./आं.मूल्यां./2021

रायपुर, दिनांक 19 .02.2021

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 के निर्णय "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" के परिपालन में स्नातक स्तर पर छःमाही परीक्षा के अंक को वार्षिक परीक्षा के अंक में समाहित किया जाना है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का अंक 10 प्रतिशत एवं मुख्य परीक्षा का अंक 90 प्रतिशत होगा।

अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एल-एल-बी. पाठ्यक्रम, अध्यादेश क्रमांक-180 की कण्डिका (5) की उप कण्डिका (a) में प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए :-

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. An examinee must pass in both external and internal evaluation separately. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.)

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020-21 (परीक्षा-2021) में प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,


19.2.21

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 19 02.2021

पृ.क्र. 1630 अका./आं.मूल्यां./2021

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय
5. उप कुलसचिव परीक्षा/सहायक कुलसचिव गोपनीय विभाग
6. प्रभारी, नामांकन प्रकोष्ठ/उपाधि प्रकोष्ठ, वित्त विभाग/अधिष्ठात छात्र कल्याण
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी, प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र गोपनीय
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)